

नागरिक विविध.
समक्ष जस्टिस बल राज तुली
मामन. आदि.-याचिकाकर्ता।
बनाम
वित्तीय आयुक्त. आदि.-प्रतिवादी।
1972 की सिविल रिट संख्या 3281।
20 दिसंबर 1972.

पंजाब सिक्कोरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट (1953 का एक्स) - धारा 19-सी - एक पुनर्वासित किरायेदार को दिए गए अधिशेष क्षेत्र का कब्जा - ऐसे किरायेदार को बेदखल कर दिया गया - कलेक्टर - क्या उसके पास पुनर्स्थापित किरायेदार को फिर से कब्जा देने का अधिकार क्षेत्र है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब भू-अवधि प्रतिभूति अधिनियम, 1953 की धारा 19-सी के अधीन, कलेक्टर उस किरायेदार के भू-स्वामी को, जिसकी भूमि अधिशेष घोषित की गई है, जब भी उसके पक्ष में आबंटन किया जाता है, पुनर्स्थापित किरायेदार को कब्जा देने का निर्देश दे सकता है। एक बार जब पुनर्स्थापित किरायेदार को उसे आवंटित भूमि का कब्जा मिल जाता है। उस भूमि का कब्जा कलेक्टर को देने का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। उस अधिकार क्षेत्र को तब पुनर्जीवित नहीं किया जाता है जब पुनर्स्थापित किरायेदार को किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी भूमि से जबरन बेदखल कर दिया जाता है, यहां तक कि मूल भूमि मालिक द्वारा भी जिसकी भूमि अधिशेष घोषित की गई थी। पुनर्स्थापित किरायेदार को देश के अन्य नागरिकों की तरह सामान्य उपायों का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार की धारा 19-ग। अधिनियम कलेक्टर को जबरन निकाले गए पुनर्स्थापित किरायेदार को कब्जा बहाल करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। (Paras 2 and 4).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा क्रमशः 1,2 और 3 पारित किए गए दिनांक 30 सितंबर, 1972, 22 सितंबर, 1972 और 25 जुलाई, 1972 के आक्षेपित आदेशों को निरस्त करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति का रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए और आगे यह प्रार्थना की जाए कि रिट याचिका के निर्णय तक विवादित भूमि से याचिकाकर्ताओं के बेदखल होने पर अंतरिम रोक लगाई जाए।

आर. के. छोकर, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

उत्तरदाताओं 1 से 3 के लिए महाधिवक्ता (हरियाणा) की ओर से एस. पी. जैन, अधिवक्ता।

जे. एस. मलिक, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं 4 से 6 के लिए।

न्याय

न्यायमूर्ति तुली, -मोलार एक बड़ा जमींदार था, जिसकी प्रशंसा का एक हिस्सा अधिशेष घोषित किया गया था। उत्तरदाताओं 5 और 6 को 1966 में उस भूमि का एक हिस्सा आवंटित किया गया था, और उत्तरदाताओं के अनुसार, उन्हें उस भूमि का भौतिक कब्जा दिया गया था। हालाँकि, उन्हें याचिकाकर्ता 1 और 2 द्वारा बेदखल कर दिया

गया था, जिन्होंने मूल भूमि मालिक मोलार के तहत भूमि पर किरायेदार होने का दावा किया था। 1969 और 70 के वर्षों में प्रत्यर्थी 5 और 6 द्वारा दायर एक शिकायत पर, कलेक्टर ने पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम, 1953 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 19-सी के तहत प्रत्यर्थी 5 और 6 को भूमि का कब्जा सौंप दिया। उन्हें फिर से बेदखल कर दिया गया है और कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 19-सी के तहत उत्तरदाताओं 5 और 6 को भूमि का कब्जा बहाल करने के लिए एक आदेश पारित किया गया है। अंबाला डिवीजन के आयुक्त ने उस आदेश को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को रद्द करने के लिए यह याचिका इस आधार पर दायर की है कि कलेक्टर और आयुक्त के पास प्रतिवादियों 5 और 6 को जबरन बेदखल किए जाने के आरोप के बाद भूमि का कब्जा बहाल करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मुझे याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए निवेदन में सार मिलता है। धारा 19-ग, जिस पर उत्तरदाताओं द्वारा निर्भरता रखी गई है, निम्नानुसार है: -

19-ग. अधिशेष क्षेत्र के कब्जे का वितरण करने की शक्ति।

(1) कलेक्टर समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा भूमि स्वामी या किरायेदार को अपने अधिशेष क्षेत्र में भूमि का कब्जा राज्य सरकार या उसके द्वारा सशक्त किसी अधिकारी द्वारा ऐसी भूमि पर पुनर्स्थापित व्यक्ति को उस पर आदेश की सेवा के दस दिनों के भीतर देने का निर्देश दे सकता है।

(2) यदि भूमि स्वामी या किरायेदार उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश का पालन करने के लिए उचित कारण के बिना इनकार करता है या विफल रहता है, तो कलेक्टर अधिशेष क्षेत्र में भूमि का कब्जा उस पर पुनर्स्थापित व्यक्ति को सौंप सकता है और उस उद्देश्य के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

(2) प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि "समय-समय पर" शब्द इंगित करते हैं कि कलेक्टर के पास कई बार पुनर्स्थापित किरायेदार को कब्जा बहाल करने का अधिकार क्षेत्र है। मुझे इस निवेदन से सहमत होने में असमर्थता पर खेद है।

इस धारा का वास्तविक अर्थ यह है कि कलेक्टर उस किरायेदार के भू-स्वामी को, जिसकी भूमि अधिशेष घोषित की गई है, जब भी उसके पक्ष में आवंटन किया जाता है, पुनर्स्थापित किरायेदार को कब्जा देने का निर्देश दे सकता है। एक बार जब पुनर्स्थापित किरायेदार को आवंटित भूमि का कब्जा मिल जाता है, तो उस भूमि का कब्जा उसे देने का कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। उस अधिकार क्षेत्र को तब पुनर्जीवित नहीं किया जाता है जब पुनर्स्थापित किरायेदार को किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी भूमि से जबरन बेदखल कर दिया जाता है-यहां तक कि मूल भूमि मालिक या किरायेदार द्वारा भी जिसकी भूमि अधिशेष घोषित की गई थी। उस स्थिति में, पुनर्स्थापित किरायेदार को देश के अन्य नागरिकों की तरह सामान्य उपायों का पालन करना पड़ता है। विधायिका ने उन्हें इस आधार पर कब्जा बहाल करने के लिए अधिनियम की धारा 19-सी के तहत कलेक्टर के पास जाने का अधिकार नहीं दिया है कि उन्हें किसी ने बेदखल कर दिया है।

(3) राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता जो अतिचारकर्ता हैं, उन्हें भूमि के कब्जे में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में इस न्यायालय द्वारा कोई राहत नहीं दी जा सकती है। यह एशुगयी एलेको बनाम नाइजीरिया सरकार का प्रशासन करने वाले अधिकारी और अन्य में प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप द्वारा शासित था। (1) "कार्यपालिका केवल कानून द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसरण में कार्य कर सकती है। ब्रिटिश न्यायशास्त्र के अनुसार कार्यपालिका का कोई भी सदस्य

स्वतंत्रता या संपत्ति या ब्रिटिश विषय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है सिवाय इस शर्त के कि वह न्यायालय के समक्ष अपनी कार्रवाई की वैधता का समर्थन कर सकता है।

(4) उनके प्रभुओं की इस उक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और यही उक्ति इस देश के न्यायशास्त्र के संबंध में लागू होती है। प्रत्येक सरकारी अधिकारी को किसी कानून के आधार पर न्याय के न्यायालय के समक्ष अपनी कार्रवाई को उचित ठहराना चाहिए जो उसे वह कार्रवाई करने का अधिकार देता है। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि कलेक्टर को वह शक्ति प्रदान करने के लिए धारा 19-सी के अलावा कोई अन्य प्रावधान नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, धारा 19-सी कलेक्टर को जबरन निकाले गए पुनर्स्थापित किरायेदार को कब्जा बहाल करने की शक्ति प्रदान नहीं करती है। उसे किसी भी अन्य नागरिक की तरह सामान्य उपायों का पालन करना पड़ता है।

(5) इस न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अनधिकृत कब्जे में किसी व्यक्ति को भी कानून के अनुसार बेदखल किया जाना चाहिए और किसी भी अधिकारी द्वारा उसकी मर्जी से या कानून को अपने हाथ में लेने पर उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मैंने ऊपर अभिनिर्धारित किया है, कलेक्टर के पास उत्तरदाता 5 और 6 को भूमि का कब्जा बहाल करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसलिए, उत्तरदाता 3 और 2 के विवादित आदेश, जिनकी प्रतियां रिट याचिका के अनुलग्नक 'डी' और 'ई' हैं, अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

(6) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, मैं इस रिट याचिका को लागत के साथ स्वीकार करता हूं और विवादित आदेशों को रद्द करता हूं। वकील का शुल्क रु. 100 है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पीयूष चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा